सचिव कृषि और सहकार, आंध्र प्रदेश सरकार व अन्य

बनाम

के.केसावुलु

29 नवंबर, 2007

[माननीय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत और अफताब आलम,]

सेवा कानूनः नियमितीकरण-दैनिक मजद्वारा की सेवाओं का दावा दैनिक वेतन सेवाएं के कर्मचारी को नियमित अंतिम श्रेणी की सेवा में दिनांक 1.3.1991 की कायर्वाही द्वारा परिवर्तित किया गया। इसके परिणामस्वरूप बाद में सेवाओं W. E. F. 1.4.1999, से G.O.Ms की संख्या 98 दिनांक 1.4.1999 नियमित की गई। पहले के नियमितिकरण का लाभ 1.3.1991 से दिया गया। अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 1.3.1991 का आदेश जिसमें नियमितिकरण/स्थाइर्करण आदेशित किया गया था वह गलत जी.ओ. है जिससे फिर से सुधार किया गया तथा सही जी.ओ में रैफर किया गया। हालांकि कर्मचारी ने उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा नहीं किया था। इसलिए वह जी.ओ से होने वाले लाभ के यौग्य नहीं थे। G.O.Ms-No.98 दिनांक 1.4.1999 के अनुसार सेवाओं को नियमित किया गया था। अतः इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश बचाव योग्य नहीं है तथा वह खारिज किये जाते है।

एक तरफ प्रतिवादी को दिनांक 21.4.1980 की कार्यवाही द्वारा अस्थायी आधार पर चौकीद्वारा के रूप में नियुक्त किया गया था। **G.O.Ms** 9 दिनांकित 8.1.1981 के अनुसरण में दिनांक 1.3.1991 की कार्यवाही के द्वारा, प्रत्यर्थी की सेवाएं और अन्य को नियमित अंतिम श्रेणी की सेवा में परिवर्तित कर दिया गया। हालांकि, **G.O.Ms. No.**98 दिनांक 1.4.1999 में कार्यवाही के द्वारा प्रतिवादी की सेवाओं की उत्तरदाता को फिर से **G.O.Ms No.**212 दिनांकित 22.4.1994 के अनुसार नियमित किया गया था। दिनांकित 8.4.1999 की कार्यवाही प्रतिवादी को नियमित कर्मचारी के रूप में जारी की गई थी। दुखी प्रतिवादी ने दिनांक 1.3.1991 में नियमितीकरण की मांग की स्वयं के लिए तथा **G.O.Ms No.**98 दिनांकित 1.4.1999 व कार्यवाही दिनांकित 8.4.1999 को अमान्य घोषित करवाने की मांग की। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि बाद में नियमितीकरण की योजना जो कि **G.O.Ms No.**212 दिनांकित 22.4.1994 को जारी की गई। उससे प्रतिवादी के नियमितिकरण के पूर्व में मिले लाभों से वंचित नहीं किया जायेगा। यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी और अन्य की सेवाएं पहले के आदेशों के तहत नियमित किया गया था, और इसलिए, **G.O.Ms No.**98 दिनांकित 1.4.1999 प्रत्यर्थी के मामले में लागू नहीं किया जा सका। अपीलकर्ताओं ने आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की और उसे खारिज कर दिया गया। अतः वर्तमान वर्तमान अपील द्वारा प्रेषित है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा-

अभिनिर्धारितः 1.1 वह आदेश जिसके द्वारा नियमितीकरण का निर्देश दिनांक 1.3.1991 को दिया गया था उसमें गलत जी. ओ. अर्थात **G.O.Ms** नं. 9 (एफ एंड पी) (**FW.PRC VI**) विभाग दिनांकित 8.1.1981 का उल्लेख किया गया था। वह नियमितिकरण व नियमित पदो के परिवर्तन से संबंधित था। ध्यान दें कि नियमित करना और नियमित पदों में बदलना नियमितीकरण रद्द करने के क्रम में अवैधता द्वारा निर्देशित किया गया था आदेश दिनांक 23.9.1991 जिसमें सही **G.O.Ms** अर्थात **G.O.Ms** 124 दिनांकित 22.2.1991 संदर्भित किया गया था और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रतिवादी ने जी. ओ.एमएस 124(**F&A Agri. IV**) दिनांक 22.2.1991 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया था। अतः प्रतिवादी उक्त **G.O.Ms** से मिलने वाले लाभो का हकद्वारा नहीं था। उक्त **G.O.Ms** उन व्यक्तियों से संबंधित है जिन्होंने दिनांक 01.02.1980 से पहले पांच साल की सेवा पूरी की थी। प्रत्यर्थी दिनांक 21.04.1980 को नियुक्त किया गया था और इसलिए, उन्होंने शर्त पूरी नहीं की। साल 1999 का नियमितिकरण **G.O.Ms No**.98 दिनांकित 1.4.1999 के अनुसरण में किया गया था।यह नियमितीकरण एक अन्य योजना के तहत था। [अनुच्छेद 6,7 और 10] [692-सी, डी, ई; 693-बी, सी]

1.2. प्रतिवादी के नियमित होने का सवाल ही नहीं उजागर होता। यह प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का मामला नहीं कि उसे G.O.Ms No.124 दिनांकित 22.2.1991 की शर्तो के अनुसार नियमित किया जाये। अधिकरण व उच्च न्यायालय द्वारा इस बुनियादी तथ्य को स्पष्टरूप से नजरअंदाज किया गया है। इसलिए अधिकरण व उच्च न्यायालय का आदेश बचाव योग्य नहीं है व खारिज किया जा रहा है।[पैरा 11] [693-डी,

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5525/2007.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद के अंतिम आदेश दिनांक 26.10.2004 में डब्ल्यू. पी. सं. 19374/2004 से-

अपीलार्थियों की ओर से डी. भारती रेड्डी।

प्रत्यर्थी की ओर से आर. संथन कृष्णन, के. राधा रानी, प्रवीण के. पांडे, पी. विजया व डी. महेश बाबू

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया। 1-इजाजत दी गई।

2. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच द्वारा रिट याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। रिट याचिका में आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद द्वारा पारित आदेश की यथार्तता पर सवाल उठाये गये है। की शुद्धता(संक्षेप में ' ट्रिब्यूनल ') से सवाल किया गया था।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

उत्तरदाता को बीज भंडार में चौकीद्वारा के रूप में पिच्चातूर में नियुक्त किया गया था। दिनांकित 21.4.1980 की कार्यवाही द्वारा पूणर्तया अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। शुरुआत में उसे Rs.290/- पर माह वेतन दिया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी व अठारह अन्य लोगों की सेवायें आरओसी No. A3/3291/85 दिनांक 1.3.1991 के द्वारा नियमित अंतिम श्रेणी की सेवा में परिवर्तित कर दिया गया था। तथा बाद की जी. ओ. No.98 दिनांक 1.4.1999 में, प्रत्यर्थी की सेवाएं सरकार के आदेशों के अनुसार फिर से पुनः नियमित किया गया था। यह नियमितिकरण G.O.Ms No.212 दिनांकित 22.4.1994 के अनुसरण में सरकार के आदेशों के द्वारा किया गया। फलस्वरूप कार्यवाही दिनांक 8.4.1999 जारी की गयी जिससे प्रत्यर्थी को दिनांक 1.4.1999 से एक नियमित कर्मचारी माना गया। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता को अंतिम श्रेणी में नियमित करने के लाभ से वंचित कर दिया गया था। दिनांक 1.3.1991 से प्रभावी प्रतिवादी ने ए. पी. प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष सेवा डब्ल्यू. ई. एफ. प्रतिवादी ने ओ. ए. No.3051/2000 दाखिल किया। जी. ओ.एमएस न. 98 दिनांकित 1.4.1999 की कार्यवाही को अमान्य करने की मांग की तथा साथ ही दिनांक 8.4.1999 की कार्यवाही को भी अमान्य करार देने की मांग की एवं यह घोषणा अपने हक में चाही की कि वह अंतिम श्रेणी की सेवा डब्ल्यू. ई. एफ. में एक नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाए तथा उसे दिनांक

01.03.1991 से प्रभावी नियमित कमर्चारी माना जाये तथा सभी परिणामस्वरूप लाभ दिलवाये जाएं।

4. दिनांक 4.8.2004 के आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी को जी. ओ. सुश्री No.98 दिनांकित 1.4.1999 के अनुसरण में नियमित किया गया था एवं G.O.Ms नंबर 9/1981 कायर्वाही दिनांक 1.3.1991 के आधार पर उनकी सेवा नियमित अंतिम ग्रेड परिवर्तित कर दिया गया ओर पश्चातवर्ती एक नियमित अंतिम श्रेणी सेवा और बाद की योजना में जी. ओ. No.212 दिनांक 22.4.1994 में जारीकी गई थी वह प्रतिवादी को पूर्व के नियमितीकरण के लाभों से वंचित नहीं करेगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गया, जिसे ऊपर उल्लेख किया गया है उसके अनुसार खारिज किया गया।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 1.2.1991 की अधिसूचना प्रस्तुत की कि उसने निम्नलिखित शर्तो को पूरा किया जाना बताया-

> "सरकार ने इस मुददे पर सावधानीपूवर्क जांच की है ओर निणर्य लिया है की पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारी की सेवाएं जो की दिनांक 1.2.1980 से पूर्व नियुक्ति हुए है को 5 वर्ष पूरा होने पर सरकारी मेमो 1 और 2 की

निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अंतिम श्रेणी की सेवा में परिवतिर्त किया जाए।"

6. मान लीजिए, की प्रत्यर्थी अप्रैल, 1980 में नियुक्त हुआ, इसलिए वह G.O.Ms 124 दिनांक 22.2.1991 से प्रवाहित लाभ का हकद्वारा नहीं था। आगे यह बताया गया कि जिस आदेश से नियमितीकरण निर्देशित किया गया दिनांक 01.03.1991 ने एक गलत जी.आे. एम यानि जी. ओ. न० 9 (एफ. & पी एफडब्ल्यू पीओर सी IV) विभाग दिनांक 08.01.1981 का हवाला दिया गया था। वह नियमितिकरण व नियमित पदो के परिवतर्न के संबंध में है। आदेश की अवैधता को ध्यान में रखते हुये नियमितिकरण के आदेश को निरस्त करने के आदेश दिनांक 23.9.1991 को दिये गये। वहीं सहीं G.O.Ms अर्थात 124 दिनांकित 22.2.1991 का हवाला दिया गया। यह तथ्य स्पष्ट रूप से संदर्भित किया की कामगार प्रतिवादी ने जी.ओ एम यानि जी. ओ. न. 124 (एफ. & ए एग्री। IV) दिनांकित 22.2.1991 में निर्धारित शर्तें को पूरा नहीं कहा गया। 1999 का नियमितीकरण G.O.Ms No.98 दिनांकित 1.4.1999 के अनुसरण मे करवाया गया था जो कि इस प्रकार है-

"सरकार सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दैनिक वैतन कर्मचारी जो की चितूर जिले में है की उनके नाम के सामने दर्शायी गई रिक्तियों के अनुसार आदेश के जारी होने की दिनांक से अनुमति देती है। यानि भावी प्रभाव से क्योंकि उन्होंने सभी शर्तें का पालन किया जैसे की इसके लिए अनुमति देती है। जी. ओ. सुश्री संख्या 212, वित्त और योजना में निर्धारित शर्तें (F.W.P.C.III) विभाग दिनांकित 22.4.1994"

7. यह नियमितीकरण एक अन्य योजना के तहत था। किसी भी स्थिति में लिखित रिट याचिका 2004 में दायर की गई थी। यह रेखांकित किया जाता है कि योजना में निर्धारित नियमित रिक्ति के बारे में एक शर्त थी इसलिए नियमितीकरण 1999 में किया गया।

8. दूसरी ओर से प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण के समक्ष कि यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था कि G.O.Ms। No.212 दिनांक 22.4.1994 द्वारा उन लोगों की सेवाओं को नियमित करने का लाभ दिया गया जो कि नवंबर, 1993 से काम कर रहे थे।

9. न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थीगण की सेवाएं पहले के आदेशों के तहत नियमित की गई थी, और इसलिए, G.O.Ms No.98 दिनांकित 1.4.1999 प्रत्यर्थी के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

10. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांकित 23.9.1991 का आदेश इसलिए पारित किया गया था क्योंकि प्रतिवादीगण व अन्य ने निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे जो कि G.O.Ms No.124 (F & A) Agrl। V) दिनांकित 22.2.1991 में निर्धारित थी जो शर्त प्रासंगिक है, वो पहले ही ऊपर निकाल चुकी थी। निर्विवाद रूप से, संबंधित जी. ओ. उन व्यक्तियों से संबंधित है जिन्होंने 1.2.1980 से पहले पाँच साल की सेवा पूरी कर चुके है। निर्विवाद रूप से प्रतिवादी दिनांक 21.4.1980 पर नियुक्त हुआ था अतः वह यह शर्त को पूरा नहीं कर रहा।

11. ऐसा होने पर उनके नियमित होने का सवाल ही नहीं उठता। नियमितीकरण का आदेश पारित होने के बाद विसंगति पकड में आई और जिसे बाद में ठीक किया गया। यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि उसे G.O.Ms No.124 दिनांकित 22.2.1991 के संदर्भ में नियमित किया जाए। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बुनियादी तथ्य को नजरअंदाज किया व ऐसा होने से न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के आदेश बचाव योग्य नहीं है व खारिज कर निरस्त किये जाते है।

12. अपील स्वीकार की जाती है। खर्चे का कोई आदेश नहीं है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती सरिता नौशाद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।